बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6/एन0–08–97/2023.. /पटना, दिनांक–................/............./2023

रामजी प्रसाद साहु मेमोरियल ट्रस्ट, अतरदह, कच्ची पक्की रोड, मुजफ्फरपुर–842002 द्वारा प्रस्तावित आर0पी0एस0 कॉलेज ऑफ नर्सिंग, झपहाँ, सीतामढ़ी रोड, अहियापुर, मुजफ्फरपुर–842002 अन्तर्गत ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु मान्यता प्रदान किए जाने के संदर्भ में भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उक्त संस्थान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, भवन/भूमि, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जाँच हेतु निम्न प्रकार से विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है:–

क्र0 सं0	स्कूल का नाम/संस्था का नाम एवं पता।	संस्थान में भारतीय उपचर्या परिषद/राज्य सरकार के मानक के अनुरूप जाँच करने वाले पदाधिकारियों का नाम।
1.	आर0पी0एस0 कॉलेज ऑफ नर्सिंग, झपहाँ, सीतामढ़ी रोड, अहियापुर, मुजफ्फरपुर–842002	1. डॉ0 ऋषि कान्त पाण्डेय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना – **अध्यक्ष** 2. डॉ0 कुमारी विभा, प्राध्यापक, स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर – **सदस्य** 3. प्राचार्य, जी0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर – **सदस्य** 4. प्राचार्य, ए0एन0एम0 स्कूल, मुजफ्फरपुर – **सदस्य**

2– संस्थान से उसमें प्रस्तावित अन्य पाठ्यक्रमों की सूचना प्राप्त करते हुए, समेकित दृष्टि से उपलब्ध संसाधनों की जांच अपेक्षित है। विशेषज्ञ जांच समिति, 990(6), दिनांक–05.08.2019 एवं 991(6), दिनांक–05.08.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। नर्सिंग स्कूल के संचालक को भविष्य में भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली से Suitabality प्राप्त कर सूचित करेंगे।

3– भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मार्गदर्शिका के दिशा–निर्देश के आलोक में संस्थान में उपलब्ध प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय की जांच पाठ्यक्रमवार एवं प्रस्तावित सीटों की संख्या को दृष्टिपथ रखते हुए की जाय।

4– जाँच दल से संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश ज्ञापांक–989(6), दिनांक–05.08.2019 द्वारा निर्गत संलग्न चेक लिस्ट के आधार पर नामित संस्थान का भौतिक निरीक्षण करते हुए, संस्थान में प्रस्तावित सीटों की संख्या के साथ स्पष्ट मंतव्य सहित वांछित प्रतिवेदन (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए) उपलब्ध कराया जाय।

5– आधारभूत संरचना अर्थात भवन आदि के संबंध में BMSICL के अभियंता के प्रतिवेदन को जांच दल के अन्य सदस्यों का सत्यापन करना आवश्यक है तथा संबंधित प्रतिवेदन समिति के सभी सदस्यों के स्तर से हस्ताक्षरित होना चाहिए।

अनु0–यथोक्त।

ह0/–
(डॉ0 सुनील कुमार झा)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0–6/एन0–08–97/2023..2033(6).......... /पटना, दिनांक–..26../..12../2023

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रबंध निदेशक, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि निरीक्षण दल को निरीक्षण कार्य हेतु इंजीनियर एवं वाहन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/मे0 फोटो प्रिंस, पी0जी0 लाईन रोड, बिहार (मो0–9304483589) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित है कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि को निरीक्षण हेतु फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की व्यवस्था की जाय।

प्रतिलिपि:– निबंधक, बी0एन0आर0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अनुलग्नक (चेक लिस्ट) की प्रति एवं भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मार्गदर्शिका के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अध्यक्ष, रामजी प्रसाद साहु मेमोरियल ट्रस्ट, अतरदह, कच्ची पक्की रोड, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे बी0एन0आर0सी0, पटना को रू0 5000/–(पाँच हजार रूपये मात्र) का भुगतान करेंगे।

27/12/23

निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner